



2026:AHC:52504

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3592 वर्ष 2026

श्रीमती इंदुबाला सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राधेश्याम यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम यादव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 01.11.1985 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी और वह 01.07.2020 को सेवानिवृत्त हुए, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को 53,500/- रुपये के बजाय 50,500/- रुपये की सीमा तक पेंशन लाभ का भुगतान किया जा रहा है, रिट याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) प्रदान नहीं की जा रही है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निस्तारण जिला तृतीय प्रतिवादी, वित्त नियंत्रक, उ.प्र. पुलिस, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित करते हुए यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन 27.03.2026 तक तृतीय प्रतिवादी, वित्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नियंत्रक, उ.प्र. पुलिस, मुख्यालय, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, तृतीय प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

5. यदि तृतीय प्रतिवादी की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएं।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।